

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- 109/2022 उपख

1. लादुलाल पिता हीफयत महाजन निवासी करेड़ा तहसील उरेड़ा प्रार्थी.....

बनाम

1. गिरवर पिता सरदार रायका निवासी भेवास तहसील उरेड़ा व अन्य विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक

15/6/22

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भेवास, पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या/आराजी नम्बर

8702/596	8703/630	597	598	623	624	632
0.1644	0.8473	0.5185	0.1770	0.1138	0.4047	0.0506
						कुल किता. 7 रकबा. 2.2763 हेक्टर

हैक्टयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविद्या के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15/6/22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगद्दी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भेवास, पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या

8703/630	597	598	623	624	632	8702/596
0.8473	0.5185	0.1770	0.1138	0.4047	0.0506	0.1644
						कुल किता. 7 रकबा. 2.2763 हेक्टर

हैक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक करेड़ा को 800/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगद्दी नहीं की जावे।

संलग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत करे। पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

2022/350

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
भीलवाडा